

ब्रिटिश सरकार के भारतीय संवैधानिक अधिनियम में महाराजा गंगासिंह की भूमिका: एक अध्ययन

गोपाल व्यास

शोध सार

महाराजा गंगासिंह राजस्थान के भागीरथ कहलाते थे। उन्होंने अपनी रियासत के विकास हेतु अनेकों कार्य किए। महाराजा गंगासिंह ने भारतीय राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बना रखी थी। अंग्रेजी हुकूमत महाराजा की विद्वता का लोहा मानती थी। महाराजा गंगासिंह एक ऐसी कड़ी के रूप में थे जिससे एक छोर से ब्रिटिश शासन और दूसरी छोर से भारतीय राजनीति बंधो हुए थे। गंगासिंह ने अपनी वैचारिक क्षमता से भारत के स्वतंत्रता का पक्ष ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखने में कोई कमी नहीं रखी। वे ब्रिटिश सरकार से समय-समय पर भारत की स्वतंत्रता हेतु विचार विमर्श करते रहते थे। भारत की राजनीति में जब क्रांतिकारियों का आगमन होना आरंभ हुआ तब गंगासिंह इस बात को भांप चुके थे कि अब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक भयानक वातावरण बन गया है। महाराजा गंगासिंह भी भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने इस दशा को देखकर आंग्ल शासन को इस बात से स्पष्ट अवगत कराया कि अब समय आ गया है जब भारत का स्वतंत्रता देने का मानस अंग्रेजी शासन को बना लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक विधान परिषद् तथा प्रान्तीय विधान परिषदों में और अधिक सुधार करना तथा भारत शासन तथा प्रान्तीय शासनों में हस्तक्षेप की मात्रा को न्यूनतम करना एवं उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान करना आदि प्रमुख बातों को आंग्ल शासन के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रसारित किया। इस संबंध में अंग्रेजों ने कुछ संवैधानिक सुधारों को भारत में प्रचलित किया, जिनमें मुख्य रूप से 1919 एवं 1935 का विशेष महत्व है।

ब्रिटिश सरकार के अधिनियम 1919 एवं 1935 की मुख्य बातें

1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार ने जनता की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण नहीं किया अपितु पृथक निर्वाचन जैसी धाराओं से जनता का विरोध और भी उग्र हो गया। पूर्वी भारत में विशेषतया बंगाल में जनता अंग्रेजी शासन के प्रति कड़ा रुख अपनाने लगी इसकी वजह से 1919 एवं 1935 के अधिनियम केवल दिखावे के लिए थे जिनमें सुधार के नाम पर आंग्ल शासन अपनी सुरक्षा का प्रावधान करना चाहता था।

ब्रिटिश सरकार का 1919 का अधिनियम

इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम नाम से भी जाना जाता है भारत सचिव मॉन्टेग्यू वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधार की दिशा में इस अधिनियम को निर्मित किया।

महाराजा गंगासिंह ने इस अधिनियम के प्रारूप के तैयार होने से काफ़ी पूर्व आंग्ल शासन को इस बात हेतु स्पष्ट रूप से परिचित करवा दिया था कि देशी राज्यों एवं नरेशों को विशेष तौर से छोटे राज्यों एवं नरेशों को